<u>न्यायालयः- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ जिला चूरू</u>

पीठासीन अधिकारी	**नीलम मीणा, आर.जे.एस**
नम्बरी फौजदारी संख्या	**530/2018**
सीएनआर नंबर	RJCH**070010032018**
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.	**119/2018**
अंतर्गत धारा	**धारा 447, 323, 504, 147, 148, 149 भा.द.सं.**
पुलिस थाना	**राजगढ**

सरकार

<u>बनाम</u>

1. सुंदर पुत्र रूपचन्द
2. रूपचन्द पुत्र श्योचन्दराम
3. सजना पत्नी सुन्दर लाल
4. भतेरी पत्नी रूपचन्द समस्त निवासीगण खुडडी पीएस राजगढ़ जिला चूरू

-अभियुक्तगण

<u>-:अपराध अंतर्गत धारा 447, 323, 504, 147, 148, 149 भा.द.सं.:-</u>

उपस्थितिः-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य।
2. श्री **मनोज पचार** वास्ते अभियुक्तगण।

अपराध की तारीख	**11.05.2018**
एफआईआर की तारीख	**11.05.2018**
आरोप पत्र की तारीख	**31.07.2018**
चार्ज निर्धारण की तारीख	**19.02.2019**
प्रारम्भ साक्ष्य की तारीख	**04.06.2019**
बयान मुलजिम	**05.03.2026**
बहस सुनवाई	**23.03.2026**
निर्णय की तारीख	**23.03.2026**

<u>-:निर्णय:-</u> दिनांकः- 23.03.2026

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी ने एक पर्चा बयान

इस आशय का दिया कि दिनांक 11.05.2018 को सुबह 8 बजे वह और दुलीचंद अपने कब्जे के बाड़े में बाड़ छापने गए तो दुलीचंद नायक बाड़ा की सींव के पास खड़ी जांटी छांगने लगा और वह बाड़ा में खड़ा था तभी सुंदर के काका का बेटा भाई जयवीर आया व सुंदर को फोन कर कहा कि आजा बाड़ा में जांटी छांग रहे हैं, मौका है तभी वक्त 08:15 बजे सुंदर, मनीष, सजना, भतेरी आए व कहा कि जांटी क्यों छांग रहे हो, तब मैंने कहा कि जांटी मेरे बाड़े की सीवं में है तो सभी एकराय होकर मुझे मां-बहिन की गंदी गंदी गालियां निकालने लगे और सुंदर ने कुल्हाड़ी की मेरे सिर में चोट मारी और रूपचन्द ने मेरेबांये हाथ के बुकीया पर जैली की मारी और सभी ने मेरे साथ मारपीट की आदि आदि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना राजगढ़ ने प्र.सू.रि. 119/2018 अन्तर्गत धारा 447, 323, 504, 147, 148, 149 भा.द.सं. दर्ज कर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 447, 323, 504, 147, 148, 149 भा.द.सं. के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में अपराध का प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण को अपराध धारा 447, 323, 504, 147, 148, 149 भा.द.सं. के तहत अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्तगण ने सुन समझकर आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाह पेश कर साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई:-

पद	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.ड. 1	सज्जन कुमार	आईआर बाबत
पी.ड. 2	अमर सिंह	पर्चा बयान बाबत
पी.ड.3	ओमप्रकाश	घटना बाबत
पी.ड. 4	दुलीचन्द	घटना बाबत
पी.ड. 5	डॉ. मनीराम	रेडियोग्राफर
पी.ड. 6	रणसिंह	घटना बाबत
पी.ड. 7	दलवीर	घटना बाबत
पी.ड. 8	भंवर लाल	तफतीश बाबत
पी.ड. 9	जुगाराम उर्फ जुगालाल	घटना बाबत

4. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में बतौर दस्तावेजी

साक्ष्य निम्न दस्तावेज को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया हैः-

क्रम सं.	**प्रदर्शनी सं.**	**विवरण**
1	प्रदर्श पी 1	चोट प्रतिवेदन
2	प्रदर्श पी 2	कवर नोट
3	प्रदर्श पी 3 ता 5	एक्स-रे प्लेट अमरसिंह
5	प्रदर्श पी 6	पर्चा बयान
6	प्रदर्श पी 7 व 7ए	नक्शा मौका व हालात मौका
7	प्रदर्श पी 8 व 9	इन्डोर टिकट
8	प्रदर्श पी 10 व 11	रोगी उपचार पत्र पर्ची
9	प्रदर्श पी 12	जांच रिपोर्ट
10	प्रदर्श पी 13 व 14	रेफरल कार्ड
11	प्रदर्श पी 15	ओपीडी पंजीयन पर्ची
12	प्रदर्श पी 16	इन्डोर टिकट
13	प्रदर्श पी 17	जांच रिपोर्ट
14	प्रदर्श पी 18	बयान धारा 161 द.प्र.सं. रणसिंह
15	प्रदर्श पी 19	चॉक एफआईआर
16	प्रदर्श पी 20	मेडिकल मुआयना बाबत तहरीर
17	प्रदर्श पी 21	रोजनामचा रपट प्रमाणित प्रति
18	प्रदर्श पी 22	आरोप पत्र
19	प्रदर्श पी 23	बयान धारा 161 द.प्र.सं. जुगलाल उर्फ जग्गूराम

5. अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 लेखबद्व किये गये तो साक्ष्य अभियोजन को झूठा होना बताया व साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

6. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः

सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाकर उचित दण्ड से दण्डित किया जावे। जबकि इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस तर्क दिया है कि जिस स्थान पर घटना घटित हुई वह स्थान परिवादी के स्वामित्वशुदा नहीं है और इस संबंध में परिवादी की ओर से कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया है। उक्त स्थान अभियुक्तगण के पटटेशुदा व स्वामित्वशुदा है। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क कि अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड.-06 रणसिंह व पी.ड.-09 जुगाराम उर्फ जुगलाल पक्षद्रोही घोषित हुए है और केवल आहत/परिवादी अमरसिंह, ओमप्रकाश, दुलीचंद के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध बयान दिये गए हैं। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

7. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः-

"क्या अभियुक्तगण ने विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर जमाव के सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनांक 11.05.2018 को समय करीब 08:15 बजे मौजा खुडडी में परिवादी/आहत अमरसिंह के कब्जा के बाड़ा में परिवादी को अभित्रस्त, अपमानित अथवा क्षुब्ध करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार करने व परिवादी अमरसिंह के साथ कुन्दालय हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित करने व गाली गलौच कर साशय अपमानित करने तथा घातक आयुध से सुसज्जित होकर बल व हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित करने का आपराधिक कृत्य किया? यदि हां तो अभियुक्तगण की उपयुक्त सजा क्या होगी?

8. गवाह **पी०ड०-2 अमर सिंह** का बयान है कि उसका 70 साल पुराना कब्जाशुदा बाड़ा गांव की आबादी भूमी मे दिखनादी तरफ है, जिसके चारो ओर पुरानी पुख्ता बाड़ बनी हुई है। सुन्दर लाल ने उसके इस बाडे का रास्ता रोक दिया। दिनांक 11.05.2018 को सुबह 8 बजे वह और उसके घर आए दुलीचंद गवाह के बाड़े में बाड छापने गए तो दुलीचंद बाड़े की सीमा के पास उनकी जांटी छंगाने लगा तभी सुन्दर के काका बेटा भाई जयवीर ने सुन्दर को फोन करके बुलाया। करीब 8:15 पर सुन्दर, मनीष, सुन्दर की पत्नी सजना, सुन्दर की मां भतेरी और रूपचंद एक राय होकर गवाह के बाड़े के अंदर आए, जिनमें सुन्दर के पास कुल्हांडी, रूपचंद के पास जेली और बाकी तीनो के पास लाठियां थी आते ही गवाह को गंदी-गंदी गालियां देने लगे और सुन्दर ने गवाह के सिर में कुल्हाडी की मारी। जिससे उसके सिर में चोट लगी। रूपचंद ने उसके बांए हाथ पर मारी और बाकी सभी ने लाठियो से मारपीट की। वह चिल्लाया तो पास से जगूराम और रणसिह, ओमप्रकाश, दलवीर, श्रीचंद, भागकर आए और उसको छुडाया नहीं तो ये लोग उसे जान से मार देते। बाडे के रास्ता' की बात को लेकर इन लोगो ने मेरे

साथ मारपीट की। उसे राजगढ अस्पताल लाकर भर्ती करवाया। पुलिस ने अस्पताल में आकर उसके पर्चा बयान प्रदर्श पी 6 लिए, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **गवाह पी०ड०-1 डॉ. सज्जन कुमार** का बयान है कि दिनांक 11.05.2018 को पुलिस थाना राजगढ के प्रतिवेदन पर मजरूब अमरसिंह की चोटो का मुआयना किया तो चोट संख्या 1. सिर पर बांयी ओर 3 गुणा 1/2 इंच गहराई हडडी तक का कुचला घाव, 2. बांयी भुजा पर 1/4 गुणा 1/4 इंच की खरोच, 3. सीने पर बांयी ओर 1/4 गुणा 1/4 इंच की खरोच, 4. बांये पैर पर 1 गुणा 1/4 इंच गहराई मांसपेशी तक का कुचला घाव, चोट संख्या 1 से 4 तक कुंद हथियार से कारित, चोट संख्या 1 ता 4 के लिए एक्स रे करवाया तो चोट संख्या 2 व 3 साधारण प्रकृति की व सभी चोटें ताजा थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है। बाद एक्स रे चोट संख्या 1 ता 4 साधारण प्रकृति की पायी गयी। कवर नोट प्रदर्श पी-2 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मेरी राय है। एक्स रे प्लेटे प्रदर्श पी-3 ता 5 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

9. **गवाह पी.ड.-03 ओमप्रकाश** का बयान है कि दिनांक 11.05.2018 को सुबह करीब 8-8:15 बजे अमर सिंह के प्लाट पर सुन्दरलाल, रूपचंद, मनीष, भतेरी, सजना कुल्हाडी, जेली, लाठी लेकर आए। सुन्दर के पास कुल्हाड़ी थी, जेली रूपचंद के पास और बाकियों के पास लाठियां थी। अमर सिह के पहले कुल्हाडी सुन्दर ने मारी जो सिर पर मारी फिर रूपचंद ने जेली से और बाकियो ने लाठीयों से मारपीट की जिसकी आवाज सुनकर वह, जागूराम, रणसिह, दलवीर, श्रीचंद ने आकर बीच बचाव कर छुडाया। बाद में अमर सिंह को अस्पताल पहुंचाया। झगडा प्लाट के रास्ते के बारे में हुआ।

10. **गवाह पी०ड०-4 दुलीचंद** का बयान है कि आज से करीब 5 साल पहले वह अमर सिंह प्रजापत के घर काम करने के लिए गया था। वह मजदुरी का काम करता है। अमर सिंह ने कहा कि उनके बाडे में एक किकर व एक जांटी खडी है तुम छांग दो, तब सुबह करीब 8 बजे गवाह व अमर सिंह उनके बाडे में गये तब बाडे की सींव के पास खड़ी जांटी छांगने लगे तो एक लडका आया और कहा कि नीचे उतर वह नीचे उतरा तभी 4-5 जने हाथों में जैली, लाठी, कुल्हाडी लेकर आये। जयवीर ने सुन्दर को फोन कर बुलाया तो थोडी देर में सुंदर व मनीष, सुंदर की पत्नी सज्जना, सुंदर की मां भतेरी, रूपचन्द एक राय होकर बाडे के अंदर आये। सुदर के पास कुल्हाडी, रूपचंद के पास जैली बाकियों के पास लाठीयां थी। जिन्होने आते ही अमर सिंह को मां बहन की गालियां निकाली। सुंदर ने अमर सिंह के सिर पर कुल्हाडी की मारी। रूपचंद ने हाथ पर जैली की मारी बाकियों ने लाठीयों से मारा। जागुराम, रण सिंह, ओमप्रकाश, दलवीर, श्रीचंद आदि भागकर आये और

अमर सिंह को छुडवाया। अमर सिंह को उसके घरवाले अस्पताल लेकर गये। मारने वाले सभी को वह जानता है, क्योकि वह जन्म से ही वंहा आता जाता रहता है, मजदुरी का काम वही करता है। पुलिस ने झगडे के अगले रोज अमर सिंह के बाडे पर आकर नक्शा मोका प्रदर्श पी 7 बनाया, जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगुठा निशानी है। इस प्रकार **गवाह पी०ड०-5 डॉ. मनीराम** का बयान है कि दिनांक 12.05.2018 को उसने वार्ड में भर्ती मरीज अमर सिंह का परीक्षण कर उपचार दिया था। इन्डोर टिकट प्रदर्श पी 8 व 9, चार पर्चियां प्रदर्श पी 10 व 11, जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 12 पर ए से बी चिकित्सा अधिकारी डॉ. महिचा के हस्ताक्षर है। रेफरल कार्ड प्रदर्श पी 13 व 14 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। ईलाज पर्चिया प्रदर्श पी 15 व 16, जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 17 पर ए से बी प्रमाणिकरण के उसके हस्ताक्षर है। मरीज शुरू से ही होश में था। सिर पर टांके लगे हुए व चक्कर आने की शिकायत करने पर भर्ती किया गया, सिर की जांच सामान्य थी।

11. **गवाह पी.ड.-07 दलबीर** का सशपथ बयान है कि दिनांक 11.05.2018 को करीब 8:30 बजे घर पडोसी रामकुमार की पत्नी ने उसके घर पर आवाज देकर कहा कि अमर सिंह को मार रहे है। वह भाग कर अमर सिह के बाडे में गया तो देखा कि अमर सिंह खुन से लथफथ था और सिर व पैर पर चोटे आई हुई थी। अमर सिंह ने उसको बताया कि अमरसिंह व दुलीचंद अपने बाडे में जांटी छांग रहे थे, तो जयवीर ने फोन कर सुन्दरलाल को बुलाया जिस पर सुन्दरलाल, रूपचन्द, मनीष कुमार, सज्जना देवी और भतेरी देवी ने जेली, लाठी, व कुल्हाडी लेकर बाडे में आकर अमर सिंह के साथ मारपीट करना बताया। दुलीचंद ने छुडाने की कौशिश की थी। श्रीचंद भी वहां आ गया था। गवाह ने डॉ विनोद व रणसिंह को फोन करके बुलाया था। डॉ विनोद ने अमरसिंह के सिर व पैर पर पटटी बांधी थी। वह, रणसिंह व डॉ विनोद तीनों अमरसिंह को लेकर सरकारी अस्पताल राजगढ मे भर्ती करवाया था।

12. **गवाह पी.ड.-08 भवंर लाल** का सशपथ बयान है कि दिनांक 11.05.2018 को याकुब खान एएसआई ने पर्चा बयान अमर सिंह प्रदर्श पी 06 थानाधिकारी गोपीराम के समक्ष पेश किया, जिन्होनें प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश उसके हवाले की। प्रदर्श पी 06 पर सी से डी याकुब खान व ई से एफ थानाधिकारी गोपीराम के हस्ताक्षर व जी से एच कारवाई पुलिस का पृष्ठांकन है। चाक एफआइआर प्रदर्श पी 19 पर ए से बी याकुब खान व सी से डी गोपीराम के हस्ताक्षर है। दौराने तफतीश घटनास्थल पहुंच नक्शा मौका प्रदर्श पी 07 पर ए से बी उसके व सी से डी रणसिह के हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर दुलीचंद का अंगुष्ठ निशान है। जिसका हालात मौका प्रदर्श पी 07ए पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मजरूब अमरसिंह की चोटों का मुआयना बाबत एमओ सीएचसी राजगढ़ को दी गयी तहरीर प्रदर्श पी 20

पर ए से बी व इलाज कागज प्रदर्श पी 08 ता 17 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। रोजनामचा रपट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 21 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मजरूब अमरसिंह का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 01, एक्स रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। तफतीश से मुल्जिमान सुंदरलाल, सजना, भतेरी, रूपचंद के विरूद्ध जुर्म धारा 447, 323, 147, 148, 149, 504 भा.द.स का प्रमाणित मान पत्रावली थानाधिकारी भगवानसहाय के समक्ष पेश किया, जिन्होने आरोप पत्र प्रदर्श पी 22 न्यायालय में पेश किया, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी थानाधिकारी भगवानसहाय मीणा के हस्ताक्षर है।

13. बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि उक्त प्रकरण आहत अमरसिंह के पर्चा बयान प्रदर्श पी-06 के आधार पर दर्ज किया गया। आहत द्वारा अपने पर्चा बयान में कथन किया गया है कि दिनांक 11.05.2018 को सुबह 8 बजे वह और दुलीचंद अपने कब्जे के बाड़े में बाड़ छापने गए तो दुलीचंद नायक बाड़ा की सींव के पास खड़ी जांटी छांगने लगा और वह बाड़ा में खड़ा था तभी सुंदर के काका का बेटा भाई जयवीर आया व सुंदर को फोन कर कहा कि आजा बाड़ा में जांटी छांग रहे हैं, मौका है तभी वक्त 08:15 बजे सुंदर, मनीष, सजना, भतेरी आए व कहा कि जांटी क्यों छांग रहे हो, तब मैंने कहा कि जांटी मेरे बाड़े की सीवं में है तो सभी एकराय होकर मुझे मां-बहिन की गंदी गंदी गालियां निकालने लगे और सुंदर ने कुल्हाड़ी की मेरे सिर में चोट मारी और रूपचन्द ने मेरेबांये हाथ के बुकीया पर जैली की मारी और सभी ने मेरे साथ मारपीट की आदि आदि।

14. अभियोजन की ओर से प्रकरण के परिवादी व आहत अमरसिंह को पी.ड.-02 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जो अपने मुख्य परीक्षण में अपने द्वारा दिए गए पर्चा बयान प्रदर्श पी-06 की ताईद करते हुए मुलजिमान द्वारा उसके कब्जे के बाड़ा में घुसकर धारदार हथियार कुल्हाड़ी व लाठीयों से उसके साथ मारपीट करने व गाली गलौच करने का कथन करता है। दौराने जिरह गवाह इस सुझाव को अस्वीकार करता है कि उसके साथ कोई मारपीट ना हुई हो और जांटी छांगते समय पेड़ से गिर गया हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसके साथ कोई मारपीट ना हुई हो और उसने बढा-चढ़ाकर रंजिश होने के कारण झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि पटटाशुदा जमीन मुलजिमान की हो और उसमें लगी जांटी को छांगने से मना किया हो। इस प्रकार उक्त गवाह को दौराने जिरह ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया, जिससे गवाहों के बयानों में संदेह उत्पन्न होता हो। गवाह अपनी जिरह में अपने मुख्य परीक्षण में किये गए कथनों की पूर्ण रूप से ताईद करता है।

15. परिवादी/आहतअमरसिंह द्वारा वक्त घटना दुलीचंद के घटनास्थल पर उपस्थित होने का कथन करता है। अभियोजन की ओर से दुलीचंद को पी.ड.-04 के रूप में परीक्षित करवाया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में परिवादी/आहत के कथनों की पूर्ण रूप से ताईद करता है। दौराने जिरह गवाह कथन करता है कि जब वह गया तब अमरसिंह के कोई चोट नहीं लगी हुई थी, उसके बाद में चोट मारी थी। उसके जाने के 10 मिनट बाद अमरसिंह के चोट मारी थी। वह जांटी पर चढ़ा हुआ था, बाद में उतर गया था। दौराने जिरह गवाह यह भी कथन करता है कि उसने अपने मुख्य परीक्षण में क्या गालियां निकाली थी, अंकित नहीं करवाया है, सिर्फ गालियां निकालने का अंकन करवाया है, किंतु गवाह आगे यह भी कथन करता है कि मां बहिन की गालियां निकाली थी। इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वह कहीं पर भी जांटी छांगने नहीं जाता हो और वह उससे उधार रूपये लेने के कारण उसके कहने से झूठे बयान दे रहा हो। इस प्रकार उक्त गवाह भी अभियुक्तगण द्वारा आहत/परिवादी के साथ मिलकर मारपीट व गाली गलौच किए जाने का कथन करता है। अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड.-03 ओमप्रकाश भी अपने मुख्य परीक्षण में अमरसिंह के प्लॉट पर मुलजिमान द्वारा लाठियों आदि से मारपीट किए जाने का कथन करता है तथा स्वंय द्वारा छुड़ाये जाने का कथन करता है, यद्यपि दौराने जिरह गवाह कथन करता है कि जब वह मौका पर गया तब अमरसिंह के चोट लगी हुई थी, वह एक मिनट बाद मौके पर पहुंच गया था। इस प्रकार उक्त गवाह भी आहत के आई चोटों की ताईद अपने बयानों में करता है।

16. गवाह पी.ड.-07 दलबीर अपने मुख्य परीक्षण में परिवादी के समान ही कथन करता है तथा अमरसिंह के खून से लथपथ होने व शरीर व पैर पर चोट आने का कथन करता है। यद्यपि दौराने जिरह गवाह कथन करता है कि मारपीट होते हुए उसने अपनी आंखों से नहीं देखी थी, किंतु उक्त गवाह भी आहत के चोट आने का कथन अपने बयानों में करता है। इस संबंध में कार्यवाही पुलिस में भी आहत के सिर, हाथ व पैर पर चोट आने का अंकन किया हुआ है। गवाह पी.ड.-01 डॉ. सज्जन कुमार भी गवाह के चोट 1. सिर पर बांयी ओर 3 गुणा 1/2 इंच गहराई हडडी तक का कुचला घाव, 2. बांयी भुजा पर 1/4 गुणा 1/4 इंच की खरोच, 3. सीने पर बांयी ओर 1/4 गुणा 1/4 इंच की खरोच, 4. बांये पैर पर 1 गुणा 1/4 इंच गहराई मांसपेशी तक का कुचला घाव आने का कथन करता है और स्वंय द्वारा उसके आई चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-01 तैयार किए जाने का कथन करता है, जिससे आहत के आई चोटों की ताईद स्पष्ट रूप से होती है। गवाह पी.ड.-08 भंवर लाल भी अपने द्वारा किए गए अनुसंधान से अभियुक्तगण सुंदरलाल, सजना, भतेरी, रूपचंद के विरूद्ध अपराध धारा 323, 504, 447, 147, 148, 149 भा.द.सं. में प्रमाणित मान आरोप पत्र न्यायालय में पेश

किए जाने का कथन करता है।

17. इस प्रकार आहत/परिवादी अमरसिंह द्वारा अपने बयान व पर्चा बयान में अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ जांटी छागने की बात को लेकर मारपीट किए जाने का कथन किया गया है। इस संबंध में नक्शा मौका प्रदर्श पी-07 व हालात मौका प्रदर्श पी-07 ए का अवलोकन करें तो नक्शा मौका में भी एक्स स्थान पर जांटी की डालियां वगैरह पड़ी होने का अंकन किया गया है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी अपनी जिरह में यह कथन किया गया है कि नक्शा मौका व हालात मौका तैयार करते समय घटनास्थल पर खेजड़ी की कटी हुई टहनियां मौके पर मिली थी। इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि परिवादी स्वंय जांटी के उपर से गिर गया हो। इस प्रकार नक्शा मौका से भी घटनास्थल की ताईद होती है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि जिस स्थान पर घटना घटित हुई वह स्थान परिवादी के स्वामित्वशुदा नहीं है और इस संबंध में परिवादी की ओर से कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया है। उक्त स्थान अभियुक्तगण के पटटेशुदा व स्वामित्वशुदा है।

इस संबंध में धारा 441 भा.द.सं. का अवलोकन करें तो इसमें आपराधिक अतिचार को परिभाषित किया गया हैः-

"आपराधिक अतिचार - - जो कोई किसी ऐसी संपत्ति मे या ऐसी संपत्ति पर, जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है, कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है, अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, अथवा ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर, विधिपूर्वक प्रवेश करके वहां विधि विरूद्ध रूप में इस आशय में बना रहता है कि तद्वद्वारा वह किसी ऐसी व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्त करें या इस आशय से बना रहता है, कि वह कोई अपराध करे।"

18. आपराधिक अतिचार का अपराध स्वामित्व के विरूद्ध अपराध नहीं होकर कब्जे के विरूद्ध अपराध है। उक्त प्लाट/बाड़ा परिवादी के कब्जेशुदा स्थान होना सभी गवाह अपने बयानों में कथन करते हैं। नक्शा मौका प्रदर्श पी-07 में भी एक्स स्थान बाड़ा मुस्तगीस अमरसिंह का होना अंकित किया गया है। उक्त स्थान अभियुक्तगण के कब्जेशुदा व स्वामित्व का रहा हो इस संबंध में कोई साक्ष्य अभियुक्तगण की ओर से न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है। अतः अधिवक्ता अभियुक्तगण का उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि परिवादी व मुलजिमान के मध्य उक्त बाड़े को लेकर सिविल दावा चल रहा है, जिसके रंजिशवश परिवादी द्वारा यह झूठा मुकदमा अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज करवाया गया है। किंतु इस संबंध में अभियुक्तगण की ओर से कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है और ना ही न्यायालय के समक्ष स्वंय को और ना ही किसी अन्य गवाह को परीक्षित

करवाया गया है। परिवादी द्वारा अभियुक्तगण को रंजिश वश झूठा फंसाया हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है और ना ही इस संबंध में अपने बयान मुलजिम में कोई कथन किया है। अतः ऐसे में अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

19. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क कि अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड.-06 रणसिंह व पी.ड.-09 जुगाराम उर्फ जुगलाल पक्षद्रोही घोषित हुए है और केवल आहत/परिवादी अमरसिंह, ओमप्रकाश, दुलीचंद के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध बयान दिये गए हैं। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 का अवलोकन करें तो इस संबंध में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "किसी भी मामले में किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए किसी विशिष्ट संख्या में गवाहों की आवश्यकता नहीं होगी" इस प्रकार किसी मामले को साबित करने के लिए गवाहों की गुणवता मायने रखती है, ना कि गवाहो की संख्या। हस्तगत प्रकरण में आहत/परिवादी अमरसिंह द्वारा अपने बयानों में अपने द्वारा दिये गए पर्चा बयानों का पूर्ण रूप से ताईद की गई है तथा अभियोजन की ओर से पेश अन्य गवाह पी.ड.-01 डॉ. सज्जन कुमार व पी.ड.-05 डॉ. मनीराम रेडियोग्राफर, पी.ड.-04 दुलीचंद भी आहत के आई चोटों की ताईद करते हैं। उक्त गवाहों के बयानों पर संदेह होता हो, ऐसा कोई खण्डन अभियुक्तगण की ओर से नहीं किया गया है। अतः अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अनेकों न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है किः-

*The Hon'ble Supreme court in the case of Harbans Kaur And Anr Vs State Of Haryana **2005(9)** SCC **195** has made the following observations. "There is no proposition in law that relatives are to be treated as untruthful witnesses. This Position of Law has further been reiterated in the case of Ravasaheb @ Ravasahebagouda etc. Vs The State Of Karnataka Criminal Appeal No. **1109@1110** of **2010.** With respect to the reliance on the sole testimony of a solitary witnesses. Further, the Honorable Supreme court in the matter of Sadhu Ram Vs The State Of Rajasthan **2003 (11)** SCC **231** has made following observation with respect to the reliance on the sole testimony of a solitary witnesses.*

"It is not doubt true that the conviction of an accused can be based solely on the testimony of a solitary witness. However, in such a case the court must be satisfied that implicit reliance can be placed on the testimony of such a witnesses and that his testimony is so free of blemish that it can be acted upon without insisting upon corroboration.

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह Sarwan Singh and others

Vs State Of Punjab **(1976) 4** SCC **369** में दिए गए सिद्धांतों के आलोक से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया जो निम्न है-

"If after careful analysis and scrutiny of their evidence, the version given by the witnesses appears to be clear, cogent and credible, there is no reason to discard the same."

20. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अभियोजन/परिवादी पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्तगण ने विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर जमाव के सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनांक 11.05.2018 को समय करीब 08:15 बजे मौजा खुडडी में परिवादी/आहत अमरसिंह के कब्जा के बाड़ा में परिवादी को अभित्रस्त, अपमानित अथवा क्षुब्ध करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार करने व परिवादी अमरसिंह के साथ कुन्दालय हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित करने व गाली गलौच कर साशय अपमानित करने तथा घातक आयुध से सुसज्जित होकर बल व हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित करने का आपराधिक कृत्य किया। इस कारण अभियुक्तगण को अपराध धारा 323, 447, 504, 147, 148, 149 भा.दं.सं. के तहत अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

<u>*–:आदेशः–*</u>

21. अतः अभियुक्तगण 1. सुंदर पुत्र रूपचन्द 2. रूपचन्द पुत्र श्योचन्दराम 3. सजना पत्नी सुन्दर लाल 4. भतेरी पत्नी रूपचन्द समस्त निवासीगण खुडडी पीएस राजगढ़ जिला चूरू को अपराध धारा 323, 504, 447, 147, 148, 149 भा.दं.सं. के तहत अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में नियमित पेशी पर उपस्थित होने बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत एवं मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(नीलम मीणा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ जिला चूरू

सजा के बिन्दू परः-

22. सजा के बिन्दू पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। इससे पूर्व इनके विरूद्ध कोई दोषसिद्धि साबित नहीं है। अभियुक्तगण ग्रामीण परिवार के व्यक्ति हैं और उनके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उनके परिवार पर विपरीत प्रभाव पड सकता है। भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृति नहीं होगी। अतः अभियुक्तगण पर नरमी का रूख अपनाते हुए परिवीक्षा लाभ दिया जावे जिसका अभियोजन अधिकारी ने विरोध करते हुए अभियुक्तगण को उपयुक्त सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

23. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं है। इस संबंध में अभियुक्तगण द्वारा अपने पूर्व दोषसिद्धि नहीं होने बाबत पृथक से शपथ पत्र भी पेश किया है। प्रार्थीगण की आयु, शील या पूर्ववृत तथा प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए अभियुक्तगण को तुरंत कारावास से दण्डित नहीं कर परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा लाभ दिया जाना ही न्यायोचित प्रतीत होता है।

-:आदेशः-

24. अतः अभियुक्तगण 1. सुंदर पुत्र रूपचन्द 2. रूपचन्द पुत्र श्योचन्दराम 3. सजना पत्नी सुन्दर लाल 4. भतेरी पत्नी रूपचन्द समस्त निवासीगण खुडडी पीएस राजगढ़ जिला चूरू को अपराध धारा 323, 447, 504, 147, 148, 149 भा.द.सं. के तहत अपराध के आरोपों में दोषसिद्धि पर तुरन्त कारावास की सजा से दन्डित न कर अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा-04 का लाभ दिया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त 1 वर्ष की अवधी हेतु 10,000/- रूपये के प्रतिज्ञा पत्र एवं जमानत इस आशय की पेश कर तस्दीक करवा दे कीः- 1. अभियुक्तगण उक्त अवधि में परिशान्ति बनाये रखेंगे, अपराध की पुनरावृर्ति नहीं करेंगे एवं जब भी न्यायालय तलब करेगा उपस्थित हो जाएंगे 2. प्रत्येक अभियुक्त आपराधिक परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियोजन व्यय राशि 1000/-रूपये (अक्षरे कुल एक हजार रूपये) जमा करवायेंगे। अभियोजन व्यय जमा करवाना परीविक्षा के लाभ की पूर्ववर्ती शर्त रहेगी। 3. परीविक्षा की शर्त की पालना नहीं करने पर अभियुक्तगण को नियमानुसार दण्ड सुनाया जावेगा, दण्ड के लिये तैयार रहे। जुर्माना राशि जमा होने पर उसमें से बाद गुजरने मियाद अपील, अपील नहीं होने की सूरत में आहत को **3000/- रूपये,** बतौर क्षतिपूर्ति अदा किये जावें।

(नीलम मीणा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ जिला चूरू

25. **निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व हस्ताक्षरित किया गया।**

(नीलम मीणा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ जिला चूरू